उत्तर प्रदेश शासन,
श्रम अनुभाग–3
संख्याः–647/36–3–2022–17(सा0)/2022
लखनऊ, दिनांक :: 27 मई, 2022

अधिसूचना

कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 63 सन् 1948) की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल लोकहित में इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से महिला कर्मकारों के नियोजन के सम्बंध में उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उपबंधित निर्बंधनों से महिला कर्मकारों को नियोजित करने वाले राज्य के समस्त कारखानों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन छूट प्रदान करती हैं:–

1–किसी महिला कर्मकार को उसकी लिखित सहमति के बिना प्रातः छः बजे से पूर्व तथा सायं सात बजे के पश्चात् कार्य करने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा।

2–किसी महिला कर्मकार को सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य उसके कार्य करने से इन्कार करने पर नियोजन से हटाया नहीं जायेगा।

3–सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य कार्यरत महिला कर्मकार को कारखाना के नियोजक द्वारा उसके निवास स्थान से कार्यस्थल तक आने और वापस जाने के लिए निःशुल्क परिवहन उपलब्ध कराया जायेगा।

4– सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य कार्यरत महिला कर्मकार को कारखाना के नियोजक द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

5– सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य कार्यरत महिला कर्मकारों को कार्य के घण्टों तथा तत्सम्बंधी यात्रा के दौरान पर्याप्त पर्यवेक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।

6– नियोजक को कार्यस्थल के निकट शौचालय, प्रक्षालन कक्ष, परिवर्तन कक्ष और पेयजल तथा सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी।

7– सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य कार्य करने के दौरान अन्यून चार महिला कर्मकारों को परिसर में अथवा किसी विशिष्ट विभाग में कार्य करने की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

8– नियोजक को महिला कर्मकारों के नियोजन के सम्बंध में स्वयं द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था विषयक सूचना सम्बन्धित क्षेत्र के कारखाना निरीक्षक को सत्यापन हेतु अधिकतम सात दिन की अवधि प्रदान करते हुए निरीक्षणार्थ देनी होगी।

9– नियोजक को रात्रिपाली के दौरान अभिनियोजित महिला कर्मकारों के विवरण के सम्बंध में संबंधित क्षेत्र के कारखाना निरीक्षक को इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा रीति से मासिक रिपोर्ट प्रेषित करनी होगी और किसी भी समय अप्रिय घटना होने पर संबंधित क्षेत्र के कारखाना निरीक्षक और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस थाना को त्वरित रिपोर्ट प्रेषित करनी होगी।

10–कारखाना निरीक्षकों को महिला कर्मकारों की कार्य करने की निरापद दशाओं को प्रवर्तित करना होगा। और समय–समय पर अपने निरीक्षण में अनुपालन न किये जाने का सावधानी पूर्वक संज्ञान लेना होगा।

11– नियोजक को लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित कदम उठाना होगा। नियोजक को स्वयं कारखाना में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 या किन्हीं अन्य संबंधित अधिनियमितियों में यथाविहित रूप से स्वयं शिकायत तंत्र अनुरक्षित करना होगा।
12–महिला कर्मकारों को विशिष्टिता उनके अधिकारों के सम्बंध में यथाअपेक्षित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को प्रमुखतापूर्वक प्रदर्शित करते हुए अवगत कराया जायेगा।
13– कारखाना के नियोजक द्वारा ऊपर विहित किसी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर अनुमति स्वतः समाप्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 647/36–03–2022–17(सा0)/2022 तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है, कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक २७ मई, 2022 की असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट–4 (खण्ड ख) में प्रकाशित कर अधिसूचना की 150 मुद्रित प्रतियॉ श्रम अनुभाग–3 बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ को एवं 250 प्रतियॉ श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कानपुर पेटी संख्या–220 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कानपुर।

3– प्रभारी निदेशक कारखाना, उ0प्र0 कानपुर।

4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
27/05/2022
(राजेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

1

E:\vikalp-2022\vikalp-2022-U.O..docx

UTTAR PRADESH SHASAN
SHRAM ANUBHAG-3

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 647 /XXXVI-3-2022-17(sa)/2022 dated May, 2022 for general information:

NOTIFICATION

No. /XXXVI-3-2022-17(sa)/2022

Lucknow, Dated: २७ May , 2022

In exercise of powers under proviso to clause(b) of sub section (1) of section-66 of the Factories Act, 1948 (Act No. LXIII of 1948), the Governor is pleased to exempt, in public interest, with effect from the date of publication of this Notification in the official Gazette all the Factories of the state employing women worker form restrictions provided in the clause(b) of sub section(1) of the said section in respect of employment of women workers, subject to the following conditions :-

1. No Women worker shall be bound to work without her written consent before 06:00 AM and after 07:00 PM.
2. No Women worker shall be terminated from her employment if she denies to work between 07:00 PM to 06:00 AM.
3. Women worker working between 07:00 PM to 06:00 AM shall be provided free transportation form her residence to workplace by the employer of the factory and back.
4. Women worker working between 07:00 PM to 06:00 AM shall be provided food by employer of the factory.
5. Women worker working between 07:00 PM to 06:00 AM shall be provided sufficient supervision during working hours and journey thereof.
6. Employer shall ensure toilets, washrooms, changing-room, drinking facilities and light near the work place.
7. During the working between 07:00 PM to 06:00 AM, not less than four women worker shall be allowed to work in the premises or a particular department.
8. Employer shall intimate the arrangement proposed by him in connection to the employment of female workers to Inspector of factories of region concerned, for verification, affording him a maximum period of seven days for such verification.
9. The employer shall send a monthly report electronically or otherwise to the Inspector of factories of region concerned about the details of

women workers engaged during night shift and shall also send express report whenever there is some untoward incident to the Inspector of factories of region concerned, and local Police Station as well.

10. The Inspector of factories shall enforce the safe working conditions of women worker and carefully take note of the non-compliance in their inspection from time to time.

11. Employer shall take appropriate steps to prevent sexual harassment. The employer shall maintain a complaint mechanism in the factory itself as prescribed in the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 or in any other related enactments.

12. The women worker shall be made aware of their rights in particular by prominently displaying the guideline as may be required.

13. Permission shall be deemed cancelled automatically on violation of any conditions prescribed above by employer of the factory.

By Order,

(Suresh Chandra)
Additional Chief Secretary.